सप्तदश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-31.03.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	सुश्री श्रेयसी सिंह, स०वि०स० डॉ० निक्की हेम्ब्रम, स०वि०स० श्रीमती मीना कुमारी, स०वि०स० श्रीमती शालिनी मिश्रा, स०वि०स० श्री नीतीश मिश्रा, स०वि०स०	"बिहार राज्य के 38 जिला जमुई, बांका, मुंगेर, लखीसराय, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर (भभुआ), रोहतास, अरवल, जहानाबाद, गया, शेखपुरा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सारण, सीवान, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया सहित भागलपुर के सभी अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर 302 स्टेडियम निर्माण हेतु 69 करोड़ 57 लाख 66 हजार 993 रूपये की राशि की स्वीकृति दी गई थी । राज्य में कुल 302 स्टेडियमों में अब तक 122 स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है । 66 स्टेडियम निर्माणाधीन हैं तथा निर्मित 114 स्टेडियम का निर्माण गुणवत्ता के अनुरूप नहीं होने के कारण क्षतिग्रस्त हो चुके हैं । निर्मित स्टेडियमों के रख रखाव, प्रबंधन एवं उपयोगिता हेतु कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत आदेश में परिवर्तन कर सोसायटी के माध्यम से रख रखाव, प्रबंधन हेतु राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर खेल विकास समिति के गठन की कार्रवाई अब तक नहीं है । अतः अपूर्ण स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण कराने, निर्मित स्टेडियमों की गुणवत्ता की जांच कराने एवं खेल विकास समिति के गठन हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	कला, संस्कृति एवं युवा

2.	श्री राकेश कुमार रौशन, स०वि०स० श्री रणविजय साहू, स०वि०स० श्री अख्तारूल इस्लाम शाहीन, स०वि०स० श्री मुकेश कुमार रौशन, स०वि०स० श्री भीम कुमार सिंह, स०वि०स० श्री विनय कुमार, स०वि०स० श्री फते बहादुर सिंह, स०वि०स० श्री चन्द्रहास चौपाल, स०वि०स०	"राज्य में अपराध की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है, जिसका ताजा उदाहरण दिनांक-24.03.2022 को संध्या 6 से 7 बजे के बीच में राजधानी पटना से सटे शहर हाजीपुर के बसंत बिहारी लाईन होटल, हाजीपुर के मालिक श्री विवेक चौरसिया की गोली मार कर हत्या कर दी गयी साथ ही निर्दोष खाना-खाने वाले ग्राहक श्री लाला राय की भी हत्या कर दी गयी । ऐसी अन्य कई घटनाएं रोज दैनिक समाचार पत्रों में देखने को मिलती हैं । अत: राज्य में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	गृह

शैलेन्द्र सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-21/2022- 1710 / वि०स०, पटना, दिनांक- 30 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30.3.2022
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-21/2022- 1710 / वि०स०, पटना, दिनांक- 30 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमश: माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30.3.2022
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-21/2022- 1710 / वि०स०, पटना, दिनांक- 30 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / कला, संस्कृति एवं युवा विभाग तथा गृह विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30.3.2022

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-21/2022- 1710 / वि०स०, पटना, दिनांक- 30 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं संयुक्त सचिव के आप्त सचिव को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सचिव एवं संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

30.3.2022

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

30/3/22